प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.02.2026

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.12.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री सुभाषचन्द निवासी पुष्प विहार निकट पानी प्लांट एस0एल0एफ0 वेद विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 11.12.2025 की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच में मेरे भतीजे शिवम उर्फ लालू पुत्र स्व0 सुनील कुमार निवासी पुष्प विहार निकट पानी प्लांट एस0एल0एफ0 वेद विहार की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अल्वीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में 1. मन्नू उर्फ सुहैल 2. अफसर उर्फ मोना उर्फ मोनू पुत्रगण इरशाद उर्फ भालू निवासीगण डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 3. शान पुत्र नईम निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 4. शहजाद पुत्र इरफान हाल निवासी किराये का मकान मास्टर चक्की वाली गली, कच्चा बलरामनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 5. जुबैर पुत्र जान मौहम्मद निवासी सुनहरी मस्जिद बुद्धनगर, नसबंदी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये तथा अभियोग में धारा- 3(5)/61(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.02.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त जुबेर पुत्र जान मौहम्मद निवासी सुनहरी मस्जिद बुद्द नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को नसबन्दी तिराहे के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण शहजाद पुत्र इरफान हाल निवासी किराये का मकान मास्टर चक्की वाली गली, कच्चा बलरामनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद तथा अफसर उर्फ मोना उर्फ मोनू पुत्रगण इरशाद उर्फ भालू निवासीगण डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को दिनांक 22.12.2025 को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्तगण मन्नू उर्फ सुहैल पुत्र इरशाद उर्फ भालू निवासी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद तथा शान पुत्र नईम निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को दिनांक 30.12.2025 को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त जुबैर उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मन्नु उर्फ सुहैल मेरी सगी खाला का लडका है तथा मेरा सगा बहनोई भी था। उसने मेरी बडी बहन को तलाक देकर दिल्ली में एक लडकी से निकाह कर लिया था। इसी बात को लेकर मैं मन्नु से अन्दर ही अन्दर दुश्मनी मानने लगा था तथा मन्नु भी मुझे मारने की फिराक में था क्योंकि कई बार मन्नु से इसी बात को लेकर मेरा विवाद हुआ था, लेकिन खाला का लडका होने के कारण दिखावे की बातचीत होती रहती थी तथा एक दूसरे के घर पर रिस्तेदारी के नाते आना जाना था। मृतक लालु उर्फ शिवम भी मेरा दोस्त था उसके पास पिस्टल थी और मन्नु को पिस्टल की आवश्यकता थी, मन्नु के दोस्त शहजाद के सामने लालू के पास पिस्टल होने की बात बतायी थी, शहजाद, शान व अफसर तथा मन्नु ने कहा था कि लालू से हमें पिस्टल दिला दे हमें अपराध कारित करने के लिए पिस्टल की आवश्यकता है, मुझे भी इस बात का मौका मिल गया था यदि लालू मन्नु को पिस्टल नही देगा तो मन्नु जबरदस्ती पिस्टल लेगा तो मन्नु के साथ दुर्घटना घट सकती है और यदि मन्नु लालू के पिस्टल लेने के दौरान मन्नु लालू को मार देगा तो मन्नु जेल चला जायेगा। इस पर मेरा दोनों तरफ से फायदा था, क्योकि दोनों प्रकार से मन्नु का ही नुकसान होना था। घटना वाले दिन लालू खालिद के कारखाने पर बैठा अपने दोस्तो के साथ खा पी रहा था इसकी सूचना मैने शहजाद, मन्नु, शान व अफसर को दी थी कि लालू से पिस्टल लेने का अच्छा मौका है। लालू को खालिद के कारखाने पर पिस्टल के साथ बैठा होने की बात भी शहजाद व उसके साथियो के बता दी गयी थी कुछ ही समय पश्चात मैं मौके से हट गया था। दिनांक 11/12/2025 को समय करीब शाम के 07.30 बजे खालिद के कारखाने के बाहर अपनी बुलैट मोटरसाईकिल खडी करके मन्नु अपने साथी शहजाद, शान व अफसर कारखाने के अन्दर घुस आये थे। तब मन्नु व उसके साथियो ने खालिद के कारखाने पर जाकर लालू को गोली मारकर उसका पिस्टल लेकर चले गये थे तथा मै अपने मकशद में कामयाब हो गया था। क्योकि मन्नू के जेल जाने का रास्ता साफ हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जुबेर पुत्र जान मौहम्मद निवासी सुनहरी मस्जिद बुद्द नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त जुबैर के विरुद्ध लूट का 01 अभियोग थाना लोनी बॉर्डर पर, हत्या के प्रयास का 01 अभियोग थाना लोनी पर तथा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पलिस टीम द्वारा ग्राम रिस्तल में श्रीजी कामधेनु डेयरी पर काम करने वाले नौकर की हत्या कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अभियुक्त की निशानदेही से हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहनी ऊनी जर्सी टी-शर्ट(खून के निशान लगी) व घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी रक्त रन्जित बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 04.02.2026 को वादी श्री वीरवल पुत्र श्री गंगाधर निवासी शिव विहार करावल नगर दिल्ली द्वारा लिखित सूचना दी कि उसके भाई सुनील की रिस्तल गाँव में कुल्हाडी से अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक सुनील भी 06 माह से रिस्तल गाँव में सत्यप्रकाश की डेयरी में काम करता था। इस सूचना पर तत्काल थाना टीलामोड़ पर धारा 103 (1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी, विवेचना के दौराने डेरी संचालक व गाँव में अन्य लोगों से की गयी पूछताछ तथा संकलित साक्ष्य से श्रीजी कामधेनु डेयरी पर ही काम करने वाले दूसरे नौकर दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन पुत्र बजरंगी निवासी ग्राम गौरवा पोस्ट तीता तहसील लालगंज थाना हलिया जिला मिर्जापुर का नाम प्रकाश में आया।

जिसके क्रम में दिनांक 05.02.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर श्रीजी कामधेनु डेयरी पर काम करने वाले नौकर की हत्या कारित करने वाला 01 अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन पुत्र बजरंगी निवासी ग्राम गौरवा पोस्ट तीता तहसील लालगंज थाना हलिया जिला मिर्जापुर उम्र करीब 35 वर्ष को श्रीजी कामधेनू डेयरी रिस्तल स्थित अभियुक्त के कमरे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही से हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहनी ऊनी जर्सी टी-शर्ट(खून के निशान लगी) व घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी रक्त रन्जित बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त 2017 से रिस्तल गाँव में सत्यप्रकाश कसाना की श्रीजी कामधेनु डेयरी में काम कर रहा था, 5-6 महीने से सुनील उर्फ मामा अभियुक्त के साथ डेयरी पर काम करता था इसी दौरान 01 माह पूर्व अभियुक्त का मोबाइल खो गया था। जिसकी वजह से अभियुक्त की सुनील उर्फ मामा से कहासुनी हो गयी थी और अभियुक्त अपने रिश्तेदारो के यहाँ दिल्ली चला गया था जब अभियुक्त 02 दिन बाद वापस आया तो सुनील और अभियुक्त आपस में कम बात करते थे कुछ दिन बाद अभियुक्त का सुनील से दूध की कैन धोने व गाय का गोबर इक्ट्ठा करने को लेकर झगडा हुआ था इसी क्रम में दिनांक 04.02.2026 को मंगलवार के दिन अभियुक्त का काम करने को लेकर सुनील से झगडा व गाली-गलौज हुई थी जिसके बाद रात में सुनील गांव से दावत खाकर वापस आया तो रात में अभियुक्त ने देखा कि सुनील के कमरे की लाइट बंद हो चुकी है तभी अभियुक्त सुनील के कमरे में अंदर गया देखा सुनील सो रहा था तथा कमरे में पास में ही कुल्हाड़ी रखी थी इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुल्हाड़ी उठाई और सोते हुए सुनील के

सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसका सिर फाड़ दिया। जिससे सुनील की मृत्यु हो गई और अभियुक्त अपने कमरे में जाकर खून से सनी अपनी टी-शर्ट उतारकर थैले में रखकर टाँग दी और सो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन पुत्र बजरंगी निवासी ग्राम गौरवा पोस्ट तीता तहसील लालगंज थाना हलिया जिला मिर्जापुर उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्त की निशानदेही से हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहनी ऊनी जर्सी टीशर्ट(खून के निशान लगी) व घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी रक्त रन्जित बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा थाना लिंकरोड़ क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 चाकू, मृतक का मोबाइल फोन व 01 सिम बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 03.02.2026 को थाना लिंकरोड़ पर वादी कुलदीप सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि वैशाली मैट्रो के सामने बने कौशाम्बी बस स्टैंड पर बने शौचालय पर काम करने वाले प्रेम कुमार निवासी गोण्डा की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कारित कर दी गई है। जिसके क्रम में तत्काल थाना लिंकरोड़ पर धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 05.02.2026 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कौशाम्बी बस स्टैंड पर बने शौचालय पर काम करने वाले प्रेम कुमार की हत्या कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. सुखबीर उर्फ सुमित पुत्र धुरी सिँह निवासी रामपुर लद्दउआ थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष व 2. राकेश प्रसाद उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रमा प्रसाद निवासी फरीदपुर थाना दुर्गापुर जिला वर्द्धमान पश्चिम बंगाल उम्र करीब 31 वर्ष को महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 चाकू, मृतक का मोबाइल फोन व 01 सिम बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 103(1) बीएनएस में धारा 315, 3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्त ही नशा करने के आदी है व कौशाम्बी बस अड्डे के सामने शौचालय के पास नशा करते थे इसी दौरान मृतक भी

अभियुक्तों के साथ कभी-कभी नशा कर लेता था, 10 से 12 दिन पूर्व दोनों अभियुक्त कौशाम्बी शौचालय पर गये थे और दोनों अभियुक्तों पर शौचालय के 300 रू0 उधार हो गये थे इसीलिए मृतक प्रेम कुमार भुट्टे वाले ने दोनों अभियुक्तों से शौच करने से रोक दिया तथा उधार का पैसा माँगा और वही पर कुलदीप सुपरवाईजर भी आ गया था इसी दौरान प्रेम और अभियुक्त राकेश की आपस में मारपीट हो गई थी। दिनांक 02.02.2026 को दोनों अभियुक्त कौशाम्बी शौचालय को छोड़कर वैशाली मैट्रो के सामने वाले शौचालय पर आये वहाँ पर मृतक प्रेम कुमार भुट्टे वाला शौचालय के अन्दर बैठा था उसके अलावा वहाँ और कोई मौजूद नहीं था। दोपहर का समय था और दोनों अभियुक्तों ने मृतक प्रेम कुमार से शौच करने के लिए कहा तो उसने अभियुक्तों से पैसे माँगे इसी बात को लेकर अभियुक्तों को पुरानी दुश्मनी याद आ गयी दोनों ने सलाह बनाकर कि आज इससे अपना बदला लेते हैं और दोनों अभियुक्त ने शौचालय पर बैठकर शराब पी और मौका मिलते ही मृतक प्रेम कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी फिर अपनी स्वेटर की हुडी के टोपे से डोरी निकाल कर उसके दोनों पैर बाँधे तथा कमरे में रखी रस्सी उठाकर उसके हाथ बाँध दिये और उसकी जेब से नीला मोबाइल फोन व 600 रू0/- लेकर शौचालय का बाहर से ताला बन्द करके दोनों अभियुक्त दिल्ली चले गये फिर दोनों अभियुक्त मथुरा चले गये और दिनांक 05.02.2026 को सुबह कोसी से ट्रेन पकड़कर गाजियाबाद वापस आये थे। उस समय दोनों अभियुक्तों के पास प्रेम का मोबाइल फोन व 01-01 चाकू था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सुखबीर उर्फ सुमित पुत्र धुरी सिँह निवासी रामपुर लद्दउआ थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष ।
2. राकेश प्रसाद उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रमा प्रसाद निवासी फरीदपुर थाना दुर्गापुर जिला वर्द्धमान पश्चिम बंगाल उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी की विवरणः-

02 चाकू, मृतक का मोबाइल फोन व 01 सिम बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।